

प्रारूप-30
FORM-1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Garhwal

No---

Dated--27/5/2021

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.190 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, P.W.D. Pauri** for **Construction of New Motor Road to Dehalhauri - Kamarghar** (purpose for diversion of forest land) in **Pauri Garhwal** District falls within jurisdiction of **Kamargarh, del , Dehalchauri villages** in **Srinagar** tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.190 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 01 to annexure 02**
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.


जिलाधिकारी
(Dr. Vijay Kumar Jogdande)
District Collector, Garhwal

FORM-II
(For linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Garhwal

No---

Dated-----27/5/2021

To WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **1.190 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, P.W.D. Pauri** for **New Construction of Muchivali-Charakot Motor Road to Dehalchauri Via Kamargarh** (purpose for diversion of forest land) in **Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Kamargarh, Del & Dehalchauri** village (s) in **Srinagar** tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.190 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **annexure 01 to annexure 02**
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of **Kamargarh & Del** villages is enclosed as **annexure 01 to annexure 02**
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

जिलाधिकारी

(Dr. Vijay Kumar Jogdande)
District Collector, Garhwal

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Pauri (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under
schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act
(FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Garhwal District constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Dr. Vijay Kumar Jogdande ,I.A.S, deputy commissioner, Pauri on dated 27/5/2021. at time 3.P.M .at Pauri in which the application claiming rights in area measuring 1.190 Hectare for the construction of From Muchiyali-Charakot Motor Road to Kamargarh to Dehalchauri Motor Road of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Kot sub division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level Committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Pauri,


Dated: 27/5/2021


जिलाधिकारी
गढ़वाल

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

It is further Certified that minutes of meeting of Construction of From Muchiyali-Charakot Motor Road to Kamargarh - Dehalchauri Motor Road (4.500 km) regarding FRA is as following:

| Sl .No. | | Remarks |
|---------|---|---|
| (a) | The complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 1.190 hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Sub Division level Committee(s) are enclosed as annexure. | Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. |
| (b) | The Diversions of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it. | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No Objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached. |
| (c) | The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities. | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. |


 Member District Board
 Pauri Garhwal
 जिला पंचायत पौड़ी


 जिला समाज कल्याण अधिकारी
 District Social Welfare Officer
 Pauri Garhwal


 Divisional Forest Officer
 Pauri Garhwal
 प्रभागीय वनाधिकारी
 सिविल एवं सयम वन प्रभाग
 पौड़ी


 अधीक्षक अभियन्ता
 Executive Engineer
 Construction Division
 PWD, Pauri


 Deputy Commissioner
 Garhwal, Pauri

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त कोट ब्लॉक में जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी में मुछियाली-चराकोट मोटर मार्ग से कमरगढ़ होते हुये देहलचौरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 किमी०) हेतु प्रस्तावित सिविल भूमि 1.190 हे० लो०नि०वि० को उपखण्ड स्तरीय समिति की संस्तति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यवर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

जिलाधिकारी

(डा० विजय कुमार जोगदण्डे)
आई०ए०एस०
जिलाधिकारी गढ़वाल

प्रारूप-30.2 (1)

परियोजना का नाम :- मुछियाली-चराकोट मोटर मार्ग से कमरगढ़ होते हुये देहलचौरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 किमी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, श्रीनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कोट
उपखण्ड कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत श्रीनगर (0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.190 हे० सिविल एवं
सोयम वन भूमि, 0.000 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.190 हे० वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन
अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील श्रीनगर) की दिनांक
को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006
एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप
जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय
सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1- श्री <u>दीकृषा</u> | उपजिलाधिकारी | <u>श्रीनगर</u> | अध्यक्ष |
| 2- श्री _____ | उप प्रभागीय वनाधिकारी | | सदस्य |
| 3- श्री <u>स्वराज सिंह</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>कोट</u> | सदस्य / सचिव |
| 4- श्री <u>बीरेन्द्र सिंह</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र | <u>रेम (क्षेत्र १० क्षेत्र)</u> | सदस्य |

उपजिलाधिकारी
श्रीनगर
सदस्य
क्षेत्र पंचायत देल
वि० ख० कोट

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति
से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मुछियाली-चराकोट मोटर
मार्ग से कमरगढ़ होते हुये देहलचौरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना हेतु 1.190 हे० वन भूमि

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित
प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, _____ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए
जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का
दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी
है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत मुछियाली-चराकोट मोटर मार्ग से कमरगढ़ होते हुये देहलचौरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 1.190 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-श्रीनगर
जनपद पौड़ी गढ़वाल
~~उप जिलाधिकारी~~
~~श्रीनगर गढ़वाल~~

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-श्रीनगर
जनपद पौड़ी गढ़वाल
~~उप जिलाधिकारी~~
~~श्रीनगर गढ़वाल~~

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- मुछियाली-चराकोट मोटर मार्ग से कमरगढ़ होते हुये देहलचौरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम देल व कमरगढ़
तहसील श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत मुछियाली-चराकोट मोटर मार्ग से कमरगढ़ होते हुये देहलचौरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.190 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि 0.00 हे०) अर्थात् कुल 1.190 हे० वन भूमि का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत देल व कमरगढ़ द्वारा दिनांक 16/5/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मुछियाली-चराकोट मोटर मार्ग से कमरगढ़ होते हुये देहलचौरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ह० / -
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

दिनांक 15.2.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत देवत

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--|-----------|
| 1- | मनमोहन पवार | |
| 2- | वीर सिंह कपडारी | |
| 3- | विकास कपडारी | |
| 4- | पंकज कपडार | |
| 5- | हीरा सिंह | |
| 6- | देवेंद्र सिंह | |
| 7- | प्रभाकर सिंह पवार | |
| 8- | सुबोध सिंह | |
| 9- | सुनिता कपडारी | |
| 10- | मंगला देवी | |
| 11- | गंगात्री देवी | |
| 12- | रामभद्र देवी | |
| 13- | राजेंद्र सिंह | |
| 14- | आलोक सिंह शर्मा | |
| 15- | अश्ली देवी | |
| 16- | अलका देवी | |
| 17- | पंडु प्रकाश | |
| 18- | अशुभ देवी | |
| 19- | Sandhya Rawat | |
| 20- | महालक्ष्मी | |
| 21- | संगीता देवी | |
| 22- | पुष्पा देवी | |



ग्राम प्रधान

प्रारूप-30.4

दिनांक 16/5/2024 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत पुंजूर

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--|------------|
| ① | जी विजय सिंह | विजय सिंह |
| ② | जी जयपाल सिंह | जयपाल सिंह |
| ③ | जी मति बुढ़मा देवी | बुढ़मा |
| ④ | जी मति बहीम देवी | बहीम देवी |
| ⑤ | जी जैम सिंह | जैम सिंह |
| ⑥ | जी मति पार्वती देवी | पार्वती |
| ⑦ | जी विजय सिंह | विजय |
| ⑧ | जी मति कलावती देवी | मलावती |
| ⑨ | जी मति लक्ष्मी देवी | लक्ष्मी |
| ⑩ | जी मति शकुंतला देवी | शकुंतला |
| ⑪ | जी रामेश सिंह | रामेश देव |
| ⑫ | जी मति गणेशी देवी | गणेशी |
| ⑬ | जी अरुण | अरुण |
| ⑭ | जी मदन सिंह | मदन |
| ⑮ | जी वासुदेव सिंह | वासुदेव |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ग्राम पंचायत
हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान
दिनांक
पुंजूर (पुंजूरवाली)

दिनांक 16/5/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
 ग्राम पंचायत... (कारगाँव)

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--|-------------|
| 1- | शैलेश लाल | शैलेश लाल |
| 2- | गजराज लाल | गजराज लाल |
| 3- | शुभनन्द लाल | शुभनन्द लाल |
| 4- | गजराज लाल | गजराज लाल |
| 5- | गुरधर लाल | गुरधर लाल |
| 6- | दिलीप चन्द | दिलीप चन्द |
| 7- | सुकेश लाल | सुकेश लाल |
| 8- | राम किशोर | राम किशोर |
| 9- | आदल लाल | आदल लाल |
| 10- | लज्जा देवी | लज्जा देवी |
| 11- | सुनील देवी | सुनील देवी |
| 12- | निता देवी | निता देवी |
| 13- | गणेश देवी | गणेश देवी |
| 14- | सुनील देवी | सुनील देवी |
| 15- | गजराज लाल | गजराज लाल |
| 16- | रविन्द्र | रविन्द्र |

हस्ताक्षर
 ग्राम प्रधान 
 ग्राम पंचायत